

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //


क्रमांक D/4441 / चार-12-5 / 2023

जबलपुर, दिनांक 20 / 10 / 2023

श्री राधेश्याम मड़िया, तत्कालीन उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (पदच्युत)की पदोन्नति निम्न तालिका के कॉलम नम्बर 2 में उल्लेखित दिनांक से होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण तालिका के कॉलम नम्बर 4 में दर्शाये अनुसार किया जाता है :-

म.प्र. न्यायिक सेवा का वेतनमान, प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति का दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान 144840-194660 /-(जे-5) में वेतन का निर्धारण।		
		वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
122700-180200/- (Level J-4)	15/10/2018	-	144840/-	15/10/2018
<u>138100/-</u> 24/06/2018		दिनांक 20.10.2020 से 50 प्रतिशत की दर से जीवन निर्वाह भत्ता स्वीकृत।	72420/-	20/10/2020
(Dismissed from Service dt. 04-05-2022)				


माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


(यू0एस0 दुबे) 20/10/2023
सलाहकार
जबलपुर, दिनांक 20 / 10 / 2023

पृष्ठांकन क्र. D/4442 / चार-12-5 / 2023
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ/कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित/पेंशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री राधेश्याम मड़िया, तत्कालीन उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी,पता-30/3, जूनारिसाला, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


सलाहकार 20/10/2023